EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 20 July , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 02 **Syllabus : : GS 1 : इतिहास**	सतारा संग्रहालय में शिवाजी की प्रतिष्ठित वाघ नख प्रदर्शित की गई
Page 05 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया
Page 10 **Syllabus : GS 2 : राजनीति और शासन**	'शत्रु संपत्ति'
Page 11 **Syllabus : GS 2 & 3 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण**	भारत जापान के साथ कार्बन क्रेडिटिंग तंत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा है
प्रोजेक्ट इन न्यूज़	अस्मिता परियोजना
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS: 3 : आपदा प्रबंधन**	पैरामीट्रिक बीमा का वादा
मानचित्र	**विषय:** भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ

Page 02 : GS 1 : History : Medieval India

ऐतिहासिक वाघ नख, एक बाघ के पंजे के आकार का हथियार, जिसका इस्तेमाल मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए किया था, अब सतारा संग्रहालय में प्रदर्शित है।

- इसे शिवाजी महाराज के राज्यारोहण की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से लाया गया था, जिसमें राज्य के नेताओं और राजघरानों ने भाग लिया था।
- यह हथियार 17 जुलाई को लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से भारत लाया गया था।
- यह प्रदर्शन शिवाजी महाराज के सिंहासन पर चढ़ने की 350वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
- वाघ नख अगले सात महीनों तक सतारा संग्रहालय में प्रदर्शित रहेगा।
- इस हथियार के लिए सतारा में एक भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था।

प्रतापगढ़ की लड़ाई:

- प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर, 1659 को महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ किले के पास हुई थी।
- यह छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफ़ज़ल खान के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। अफ़ज़ल खान, एक शक्तिशाली सेनापति, शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को कुचलने की कोशिश कर रहा था।
- अपनी सैन्य रणनीति के लिए जाने जाने वाले शिवाजी महाराज ने खान की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया।

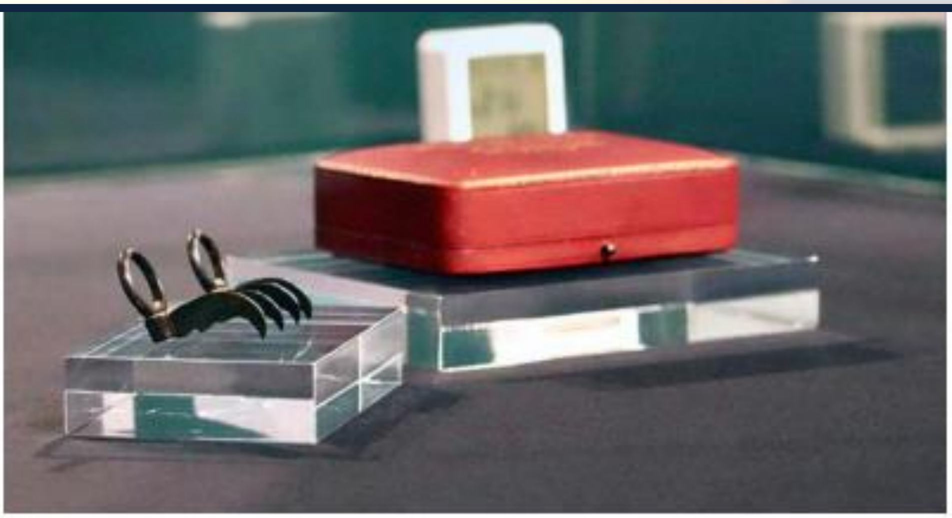

Shivaji's iconic *wagh nakh* on display at Satara Museum

The historic *wagh nakh*, the tiger claw-shaped weapon reportedly used by Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj to kill Bijapur Sultanate general Afzal Khan, has been put on display at the Satara Museum on Friday for the next seven months. The weapon, brought to India from London's Victoria and Albert Museum on July 17 to commemorate the 350th anniversary of the Maratha ruler's ascension to the throne, received a grand welcome in Satara. CM Eknath Shinde, along with his deputies Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, and members of the royal family of Satara attended the event.

- यह लड़ाई शिवाजी महाराज द्वारा बाघ के पंजे के आकार के हथियार वाघ नख के अभिनव उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अफ़ज़ल खान को मारने के लिए किया था।
- अफ़ज़ल खान की हार ने शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ी जीत दर्ज की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और क्षेत्र में उनकी शक्ति मजबूत हुई।

छत्रपति शिवाजी महाराज

- उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था।
- उनका जन्म शाहजी भोंसले से हुआ था, जो एक मराठा सेनापति थे, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीर संभाली थी, और जीजाबाई, एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनके धार्मिक गुणों का उन पर गहरा प्रभाव था।
- शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर नहीं रखा गया था। उनका नाम एक क्षेत्रीय देवता - 'देवी शिवाई' के नाम से लिया गया था।

योगदान

- उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं और दरबारी परंपराओं को पुनर्जीवित किया और दरबार और प्रशासन में फ़ारसी के बजाय मराठी और संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा दिया।
- आधुनिक युग में भारत की पहली नौसेना शिवाजी द्वारा महाराष्ट्र के तट की रक्षा के लिए बनाई गई थी।
- उन्होंने अनुशासित सेना और अच्छी तरह से संरचित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक सक्षम और प्रगतिशील नागरिक शासन की स्थापना की।
- उन्होंने सैन्य रणनीति का नवाचार किया, गैर-पारंपरिक तरीकों (गुरिल्ला युद्ध) का बीड़ा उठाया और भूगोल, गति और आश्चर्य जैसे रणनीतिक कारकों का लाभ उठाया।
- उन्होंने अपने बड़े और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए सटीक हमलों पर ध्यान केंद्रित किया।
- एक बहादुर और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष शासक, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया और दलितों और किसानों की देखभाल की।
- उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई।

अफ़ज़ल खान कौन था?

- वह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 17वीं सदी के सेनापति थे।
- छत्रपति शिवाजी के उदय और क्षेत्र पर बढ़ते नियंत्रण के साथ, अफ़ज़ल खान को दक्कन में उन्हें वश में करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया।
- खान ने 10,000 घुड़सवारों की एक सेना तैयार की और बीजापुर से वाई तक मार्च किया, रास्ते में शिवाजी के इलाके को लूटा।

- शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले में युद्ध परिषद बुलाई, जहाँ उनके अधिकांश सलाहकारों ने उनसे शांति बनाने का आग्रह किया।
- बैठक के दौरान, दोनों के बीच गले मिलना एक हमले में बदल गया जिसमें शिवाजी विजयी हुए। इसके बाद मराठों के हाथों आदिलशाही सेना की हार हुई।
- मराठा स्रोतों के अनुसार, खान के अवशेषों को किले में दफनाया गया और शिवाजी के आदेश पर एक मकबरा बनाया गया।

महत्वपूर्ण युद्ध:

प्रतापगढ़ की लड़ाई	महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले पर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच लड़ाई हुई।
पवन खिंड की लड़ाई	महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास के पहाड़ी दर्रे पर मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाही के सिद्दी मसूद के बीच लड़ाई हुई।
सूरत की लूट	गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ाई हुई।
पुरंदर की लड़ाई	मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई।
सिंहगढ़ की लड़ाई	महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम के अधीन किलेदार उदयभान राठौड़ के बीच लड़ाई हुई।
कल्याण की लड़ाई	मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराया और कल्याण पर अधिकार कर लिया।
संगमनेर की लड़ाई	मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। यह मराठा राजा शिवाजी द्वारा लड़ी गयी अंतिम लड़ाई थी।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं?

a) होल्कर
b) भोंसले
c) सिंधिया
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b)

Page 05 : GS 2 : Indian Polity : Constitutional Bodies

यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से लगभग पांच साल पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है।

- राष्ट्रपति को सौंपा गया उनका इस्तीफा यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों से जुड़े हालिया विवादों से जुड़ा नहीं है। अनुपम मिशन से जुड़े साधु सोनी अपने आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

UPSC Chairperson Manoj Soni quits 5 years before completion of tenure

Vijaita Singh
Mahesh Langa
NEW DELHI/AHMEDABAD

Union Public Service Commission (UPSC) Chairperson Manoj Soni has resigned due to "personal reasons", almost five years before his tenure ends in 2029, sources told *The Hindu*.

Mr. Soni, who joined the commission as a member in 2017, was sworn in as the Chairperson on May 16, 2023.

"He resigned almost a month back," a top source told *The Hindu*. The source added there was no clarity if the resignation would be accepted and he would be relieved.

The source also clarified that the resignation was not linked to the controversy regarding UPSC candidates securing employment by presenting fake certificates.

Mr. Soni is learnt to have submitted his resignation to the President of India. However, the government is yet to announce the name of the new Chairperson.

Manoj Soni

According to sources, he wants to devote more time to Anoopam Mission, a branch of Swaminarayan Sect in Gujarat. He became a monk, or *nishkam karmayogi* (selfless worker), in the Mission after receiving *diksha*, or initiation, in 2020.

Mr. Soni is considered close to Prime Minister Narendra Modi, who had picked him as the Vice-Chancellor of M.S. University in Vadodara in 2005 when he was 40 years old, making him the youngest Vice-Chancellor in the country.

Prior to his appointment to the UPSC in June 2017, Mr. Soni had served three terms as Vice-Chancellor in two universities in his home State of Gujarat.

Not linked to Puja issue

Sources added that the resignation was not linked to the controversy regarding trainee Indian Administrative Service (IAS) officer Puja Khedkar, who allegedly forged identity papers and presented a disability certificate to get into the service.

After Ms. Khedkar's case surfaced, social media was abuzz with several cases of candidates, presently in service, who allegedly forged documents to get benefits reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections (EWS), and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD). The cases raise questions about the sanctity of the UPSC's exam and selection processes.

The UPSC is a constitutional body as mandated under Article 315-323 Part XIV Chapter II of the Constitution of India. The Commission conducts several examinations on behalf of the Union government.

It also conducts Civil Services Examinations every year and recommends candidates for appointment to the IAS, the Indian Foreign Service (IFS), the Indian Police Service (IPS), and the Central Services - Group A and Group B.

संघ लोक सेवा आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने का अधिकार है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

- UPSC की संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा UPSC की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के अंतर्गत दिए गए हैं।
- सदस्यों की नियुक्ति: UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कार्यकाल: UPSC का कोई भी सदस्य छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।
- पुनः नियुक्ति: कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद पर रह चुका है, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है।
- त्यागपत्र: संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
- सदस्यों का निष्कासन/निलंबन: यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा।
  o राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से निलंबित कर सकते हैं, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भ भेजा गया हो।
- हटाने की शर्तें: यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है, यदि वह:
  o दिवालिया घोषित हो।
  o अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न हो।
  o राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो।
- सेवा की शर्तों को विनियमित करना: यूपीएससी के मामले में, भारत के राष्ट्रपति:
  o आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करेंगे।
  o आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान करेंगे।
- शक्ति का प्रतिबंध: यूपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा, जिससे उसे नुकसान हो।
- कार्यों का विस्तार करने की शक्ति: किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग की व्यवस्था कर सकता है।
- यूपीएससी के व्यय: आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करना: यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

o राष्ट्रपति उन मामलों को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन उपलब्ध कराएंगे जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई।
  - ऐसी अस्वीकृति के कारणों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

UPPSC Prelims PYQ : 2020

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है?

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।

a) केवल 1 और 2

b) केवल 3 और 4

c) केवल 1, 2 और 3

d) केवल 3

उत्तर: d)

Page 10 : GS 2 : Polity & Governance

भारत सरकार ने 'शत्रु संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है।

When a home is 'enemy property'

The Indian government has begun to auction properties belonging to erstwhile citizens of the country who now hold Pakistani and Chinese passports. Uttar Pradesh has the maximum number of estates classified as 'enemy properties'. **Mayank Kumar** explores the Lucknow cityscape to understand the real estate challenges

Halwasiya Market, situated in the older part of Lucknow, Hazratganj. SANDEEP SAXENA

Faisal Azim Abbasi, 48, is worried for himself and his joint family of eight. He has been getting notices to sign an 11-month license agreement with the Custodian of Enemy Property for India (CEPI), a department under the Ministry of Home Affairs, formed after the Indo-Pak war of 1965 and the two Indo-China wars in 1962 and 1967.

Abbasi has known no other home other than the single-storey, 800-square-foot house in Lucknow's Maulviganj. The house, popularly known as Zareef Manzil or Lal Kothi, has been inhabited by his family for four generations.

"My grandfather took the property on rent from the Raja of Mahmudabad in the late 1930s," says Abbasi. They paid ₹16 and 8 annas (50 paise). In 1957, the erstwhile raja moved to Pakistan and took citizenship there.

Abbasi is among hundreds of residents across India who occupy 'Enemy Properties', declared thus after the Enemy Property Act, 1968, came into being. The Act enabled the state to regulate and appropriate real estate belonging to those who had left India and got citizenship of countries it has gone to war with: Pakistan and China.

Now, the Union government has begun to e-auction many of the 12,611 properties across the country, out of which 126 belong to Chinese citizens. Uttar Pradesh has the maximum number, at 6,041, followed by West Bengal at 4,354. Lucknow itself has 361 such properties, with 105 occupied, the highest in U.P. and all in disrepair. Shamli district has 482, Sitapur 378, Muzaffarnagar has 274, and Budaun 250, besides the others.

These 'enemy properties' could be "any property that belongs to, is held or managed on behalf of an enemy, an enemy subject, or an enemy firm". The word "enemy" signifies any country that has committed an act of aggression or declared war against the Union of India, and "property" is immovable assets and all negotiable instruments such as shares, debentures, and other commerce.

Family dynamics

Abbasi's grandfather, Matloob Alam, signed the original lease and the family was told on September 24, 1966, via a letter from the then Sub-Divisional Magistrate (SDO), Lucknow, S.S. Nigam that the building they lived in had become 'enemy property', and was owned by the state. "I, SDO Lucknow hereby direct Shri Matloob Alam, the occupant of the property, to pay monthly rent, dues etc. to Tehsildar Lucknow with immediate effect," the letter had said.

> The proposed arrangement is only for 11 months, and it adds that on the expiry of this period or an earlier termination, the licensee shall hand over the property to the licensor, which is CEPI. It is frightening.
>
> **MOHAMMAD HAIDER RIZVI**
> Lawyer, who is fighting the legal battle of tenants occupying 'enemy properties'

Thereafter, the rent was paid to the CEPI. The amount was increased to ₹22.28 in 1972 and further increased to ₹312 in April 2013.

However, Abbasi claims that the rent has not been collected by the CEPI since December 2016. "Where will we go from here? If they sell it to us at a reasonable rate, we will take it," he says. He considers ₹50 lakh a reasonable sum to buy the property. Alternatively, he is ready to pay five times what he is paying on rent if the lease is renewed.

Over the years, the Enemy Property Act has seen several amendments, with the most significant and recent being The Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017. It expanded the meaning of the term "enemy subject", and "enemy firm" to include the legal heir and successor of an 'enemy', whether a citizen of India or a citizen of a country which is not an enemy; and the succeeding firm of an 'enemy firm', irrespective of the nationality of its members. The Act also made it clear that once a property is declared 'enemy property', it remains so. The amendment nullified a Supreme Court judgment which ruled in favour of Mohammed Amir Mohammad Khan, son of the erstwhile Raja of Mahmudabad.

Though the erstwhile Raja of Mahmudabad took Pakistani citizenship, Amir stayed behind as an Indian citizen, and asserted claims over various properties that were originally in his family's name. After a prolonged legal struggle of over three decades, the Supreme Court ruled in his favour in 2005, declaring him the rightful owner, even though they have been declared 'enemy properties'. Amir was a two-time MLA in the Uttar Pradesh State Assembly in the 1980s from the Congress party and died in October 2023 at the age of 80.

The most well-known among these properties is the three-storeyed Butler Palace, built on the banks of the Gomti river in the 1910s. The palace was originally constructed in a mix of Indo-Mughal and Rajasthani styles as the official residence of the commissioner of Avadh, Harcourt Butler, in Lucknow. It has remained empty since the 1960s, and has been branded 'haunted', by the Lucknavis – either by ghosts of the past or addicts of the present.

It is now missing its best brass bit and anything of value. Sometime in September-October 2023, the Lucknow Development Authority (LDA) began refurbishing it as a tourist attraction after receiving a no-objection certificate from the CEPI.

Another prime property is Halwasiya market in Lucknow's Hazratganj, the older part of the city, where real estate prices start at approximately ₹15,000 per square foot, if the buyer is lucky enough to get a place.

Sued from many sides

Like Abbasi, many shopkeepers received notices for a fresh lease and licence agreement for the 'enemy property' they were occupying, but no one has signed one with CEPI until now. The occupants proposed a long-term lease for at least a decade, which was not accepted by CEPI.

Ali Khan Mahmudabad, the next in line from the family, is still fighting for various properties in the Supreme Court. He declined to comment on the matter since it is sub judice. Niraj Gupta, who has been his lawyer since 2003, says, "The Supreme Court has maintained the status quo related to our petition challenging the Act and its amendment provisions. The government cannot sell, auction, or create third-party rights on our properties." Ali is an associate professor in a private university and a member of the Samajwadi Party.

Mohammad Haider Rizvi, a Lucknow-based lawyer who is fighting the legal battle of tenants occupying enemy properties, says many of his clients have been living as tenants for 70-80 years. They are all nervous after receiving renewed agreements.

"Now, the proposed arrangement is only for 11 months, and it adds that on the expiry of this period or an earlier termination, the licensee shall hand over the property to the licensor, which is CEPI. It is frightening," he says.

> Where will we go from here? If they sell it to us at a reasonable rate, we will take it.
>
> **FAISAL AZIM ABBASI**
> A resident of an 'enemy property'

In 2020, the Union government set up a Group of Ministers led by Home Minister Amit Shah to monitor the disposal of 'enemy properties'.

The value of the earlier 9,000 surveyed 'enemy properties' across the country was estimated to be ₹1 lakh crore. Later, over 3,000 such properties were identified, taking the numbers above 12,000.

The guidelines for the disposal of enemy properties stipulate that if the property is valued below ₹1 crore, the custodian must offer the occupant the choice of purchase. If they refuse, the property will be e-auctioned.

Those valued at over ₹1 crore but less than ₹100 crore will be disposed of by the CEPI through e-auction or through a rate determined by the Enemy Property Disposal Committee, unless the Central government chooses to retain it.

All auctions take place through the Metal Scrap Trade Corporation Limited, a Central public sector undertaking. In 2023, the Central government earned over ₹3,400 crore from the disposal of movable 'enemy properties', like shares and gold.

In U.P., 79 enemy properties identified as agricultural land, each valuing less than ₹1 crore were auctioned across Muzaffarnagar, Sultanpur, and Amroha districts till March 2024.

"A person interested in buying these properties can visit the site and talk to the local *tehsildar* to check documents before going ahead with the e-auction," says Kamlesh Verma, a Home Ministry official who is the supervisor for such properties in Sonbhadra district.

Before the process of the disposing of such properties began, the U.P. government, on the directions of the Home Ministry, conducted surveys of the properties to free them of legal hindrances and set their value, so they could be auctioned off. Roughly half of such properties are without any legal hindrance.

"Our role was to help in surveying the properties and send notices to encroachers. The rest is done by the CEPI," says Saurav Singh, Sub-Divisional Magistrate (SDM), Malihabad, Lucknow.

शत्रु संपत्ति के बारे में:

- शत्रु संपत्ति वे अचल और चल संपत्तियां हैं जो विभाजन के दौरान और 1962 और 1965 के युद्धों के बाद भारत छोड़ने वाले पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई थीं।
- अचल संपत्ति के अलावा, शत्रु संपत्ति में ऐसे व्यक्तियों के बैंक खाते, शेयर, सोना और अन्य संपत्तियां भी शामिल हो सकती हैं।

- शत्रु संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक (CEPI) के पास निहित हैं, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत बनाया गया एक प्राधिकरण है।
- अधिनियम में 2017 के संशोधन (शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2017) में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों के उत्तराधिकारियों का भारत में छोड़ी गई संपत्तियों पर दावा नहीं रह गया है।
- संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उत्तराधिकार का कानून शत्रु संपत्ति पर लागू नहीं होगा, कि किसी शत्रु, या शत्रु विषय, या शत्रु फर्म द्वारा संरक्षक में निहित किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, और यह कि संरक्षक शत्रु संपत्ति को तब तक संरक्षित रखेगा जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका निपटान नहीं हो जाता।
- सीईपीआई के अनुसार, भारत में 13,252 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनका मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- इनमें से अधिकांश संपत्तियां उन लोगों की हैं जो पाकिस्तान चले गए, और 100 से अधिक संपत्तियां उन लोगों की हैं जो चीन चले गए।
- उत्तर प्रदेश (5,982) में सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल (4,354) का स्थान है।

UPSC Practice Question

प्रश्न: भारत में शत्रु संपत्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शत्रु संपत्ति वे संपत्तियाँ हैं जो विभाजन के दौरान और 1962 के युद्ध के बाद भारत छोड़ने वाले पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई हैं।

2. सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्तियाँ गुजरात में हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a)

Page : 11 : GS 2 & 3 : International Relations & Enviroment

भारत और जापान कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) स्थापित करने के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं।

- यह तंत्र कार्बन क्रेडिट आवंटित और ट्रैक करेगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का समर्थन करेगा, जिससे पेरिस समझौते के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए दोनों देशों के जलवायु लक्ष्यों में योगदान मिलेगा।

India plans to enter into carbon crediting mechanism with Japan

Abhishek Law
NEW DELHI

India is looking to enter into a carbon trading and carbon credit adjustment mechanism with Japan.

The two countries plan to sign a Memorandum of Cooperation for setting up a Joint Crediting Mechanism (JCM) with emission-reduction credits being shared, as per Cabinet note prepared in July and reviewed by *businessline*.

Under the mechanism, carbon credits will be 'allocated through a structured process' and there will be a 'registry to track these credits," as per the note.

Projects will be taken up only when they are cleared through a Joint Committee, and both governments will notify these credits issued based on the submitted reports. The credits will be allocated to the respective registries of India and Japan, and can subsequently be used towards the Nationally Determined Contribution (a climate action plan to cut emissions and adapt to climate impact) of both countries.

The proposal will "boost job creation by attracting investments in low-carbon and clean technologies". There will also be any financial implication of such a project.

"A draft Cabinet Note has been prepared ..... authorising the MoEFCC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) for the signing of MoC (Memorandum of Cooperation) between Government of India and the Government of Japan in consultation with the concerned ministries.... and MEA," as per office memorandum of one of the Ministries said. The JCM will facilitate diffusion of leading decarbonising technologies, equipment, machinery, products, systems and infrastructure, implementation of mitigation actions, among others.

The draft (Cabinet note) has approval of the Environment Minister.

Bilateral ties

The JCM will be formed under Article 6.2 of the Paris Agreement.

As per the draft Memorandum of Cooperation, the mechanism will be implemented in accordance with "relevant domestic laws and regulation" in these respective countries.

A joint committee will be established and it will develop rules and guidelines required for implementation of the JCM that cover project cycle procedures, methodologies, project design documents, monitoring and designation of third-party entities, among others.

"Decisions by the Joint Committee on registration of the project, crediting period, sharing of credits, issuance of credits, and other related matters on the JCM are made with prior confirmation of the Government of Japan and Government of India, unless otherwise specified," one of the provisions stated.

Emission cuts

Both governments "mutually recognise that part of JCM credits issued from emission reductions and removals may be towards the achievement of Japan's nationally determined contribution and rest of the said JCM credits may contribute to the achievement of India's nationally determined contribution" while ensuring double counting is avoided.

Each government can authorise part of JCM credits for international mitigation purposes too.

The two countries will confirm registration of a project prior to a decision by the joint committee; while the percentage of credit allocation will also be decided.

The MoC (draft) also mentions Japan will facilitate the transfer of technology, finance and capacity building in respect of new technologies for the joint crediting mechanism.

(The writer is with The Hindu businessline)

Green move: The proposal will boost job creation via investments in low-carbon and clean technologies. GETTY IMAGES/ISTOCK

संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) स्थापित करने के लिए सहयोग ज्ञापन

- उद्देश्य और रूपरेखा: भारत और जापान उत्सर्जन-कमी क्रेडिट साझा करने के लिए एक संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) स्थापित करने के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं।

  o JCM में कार्बन क्रेडिट का एक संरचित आवंटन शामिल होगा और इन क्रेडिट को ट्रैक करने के लिए एक रजिस्ट्री बनाए रखी जाएगी, जिसमें परियोजनाओं को एक संयुक्त समिति से मंजूरी की आवश्यकता होगी।

कार्बन ट्रेडिंग क्या है?

- कार्बन ट्रेडिंग, जिसे कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बाजार-आधारित दृष्टिकोण है।
- इस प्रणाली के तहत, कंपनियों या देशों को एक निश्चित संख्या में कार्बन क्रेडिट या भत्ते आवंटित किए जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक विशिष्ट मात्रा का उत्सर्जन करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- जो संस्थाएँ अपने उत्सर्जन को अपनी अनुमति से कम करती हैं, वे अपने अधिशेष क्रेडिट को उन लोगों को बेच सकती हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है, इस प्रकार समग्र उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैदा करती हैं।

- संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) एक द्विपक्षीय ढाँचा है जिसे विकासशील देशों में ग्रीनहाउस गैस कटौती परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक विकसित देश द्वारा शुरू किया गया है।
- यह उन परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन क्रेडिट के उत्पादन की अनुमति देता है जो उत्सर्जन को कम करते हैं, जिन्हें फिर एक विकसित देश और मेजबान देश के बीच साझा किया जाता है।
- इस तंत्र का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, उन्नत तकनीकों को हस्तांतरित करना और दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है।

उत्सर्जन में कटौती

- क्रेडिट आवंटन: JCM के तहत जारी किए गए क्रेडिट पेरिस समझौते के तहत जापान और भारत दोनों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में योगदान देंगे। JCM क्रेडिट की दोहरी गणना से बच जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय शमन उद्देश्यों के लिए कुछ क्रेडिट को अधिकृत कर सकता है।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण: जापान JCM की प्रभावशीलता को बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त और क्षमता निर्माण का समर्थन करेगा।

जेसीएम का महत्व:

- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में वृद्धि: जेसीएम जापान से भारत में उन्नत डीकार्बोनाइजिंग प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ, ऊर्जा-कुशल उपकरण और अपशिष्ट प्रबंधन समाधान।
- रोज़गार सृजन और कौशल विकास: जेसीएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

UPSC Mains PYQ : 2022

प्रश्न: स्वच्छ ऊर्जा आज की आवश्यकता है।' भू-राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की बदलती नीति का संक्षेप में वर्णन करें।

Project In News : ASMITA Project

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है।

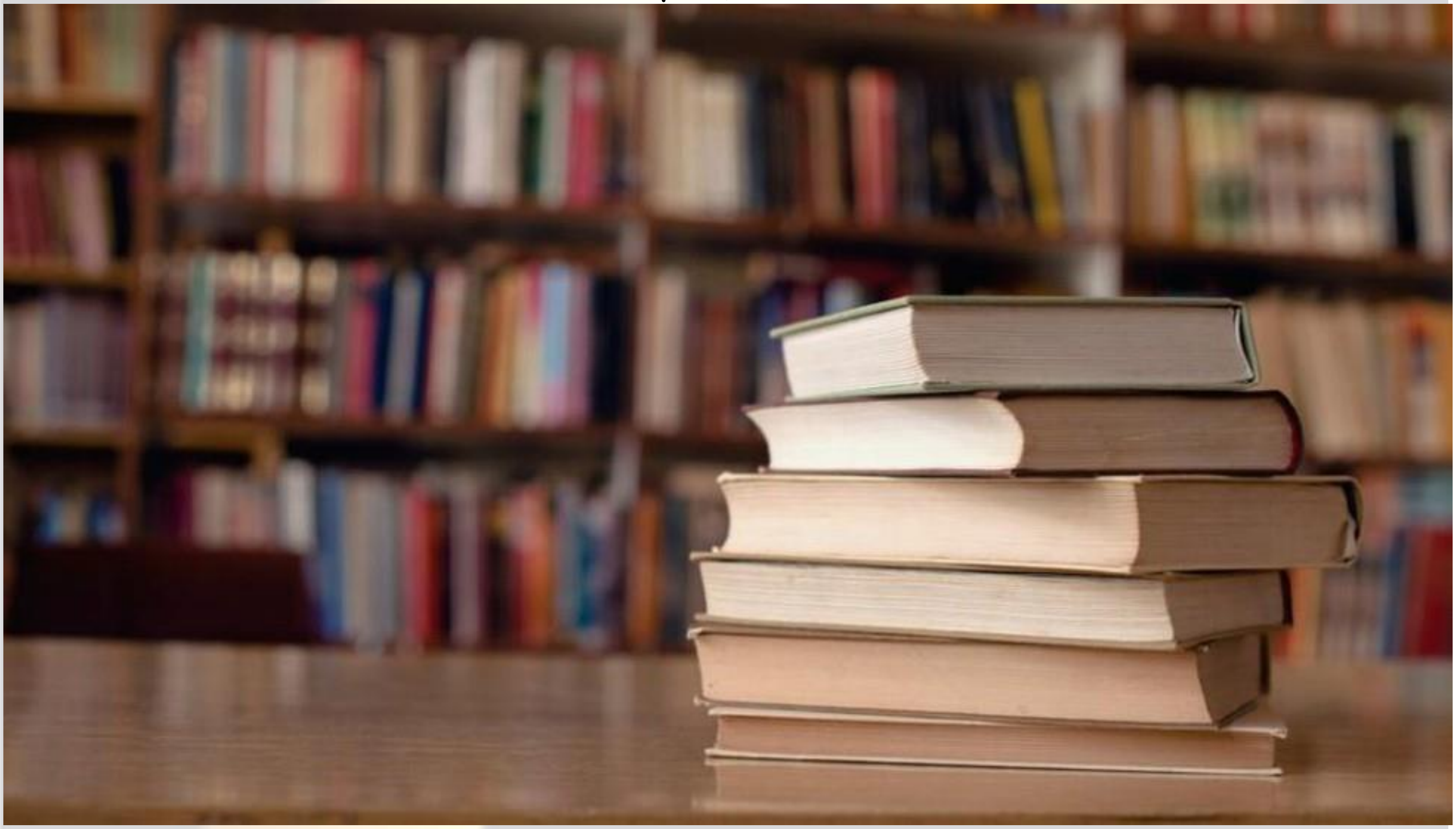

अस्मिता परियोजना के बारे में:

- अस्मिता (अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना) अगले पाँच वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने की एक पहल है।
- यह यूजीसी और भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक उच्चस्तरीय समिति का एक संयुक्त प्रयास है।
- इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में अधिक गहराई से बढ़ावा देना और एकीकृत करना है, जिससे सीखने का अनुभव समृद्ध हो और इसे अधिक समावेशी बनाया जा सके।
- इस परियोजना को विभिन्न भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री की पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
- इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य विश्वविद्यालयों के साथ तेरह नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है।
- यूजीसी ने प्रत्येक निर्दिष्ट भाषा में पुस्तक-लेखन प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी बनाई है।
- एसओपी में नोडल अधिकारियों और लेखकों की पहचान, शीर्षक, विषय और कार्यक्रम का आवंटन, लेखन और संपादन, पांडुलिपि जमा करना, समीक्षा और साहित्यिक चोरी की जाँच, अंतिम रूप देना, डिज़ाइन करना, प्रूफ़रीडिंग और ई-प्रकाशन शामिल हैं।

शुरू की गई अन्य पहल:

- शिक्षा मंत्रालय ने "बहुभाषा शब्दकोष" भी शुरू किया, जो सभी भारतीय भाषाओं के सभी शब्दों और उनके अर्थों के लिए एकल-बिंदु संदर्भ है।
- यह पहल भारतीय भाषा समिति के सहयोग से केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) द्वारा विकसित की जाएगी।
- यह शब्दकोष आईटी, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा जैसे विभिन्न नए युग के क्षेत्रों में भारतीय शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का उपयोग करने में मदद करेगा।

Page : 06 Editorial Analysis

The promise of parametric insurance

Safi Ahsan Rizvi

Indian Police Officer is Adviser, National Disaster Management Authority

The warmest year on record was 2023. A report estimated that losses from natural disasters amounted to $280 billion in 2023, of which only about $100 billion was insured. The gap in insurance coverage was particularly wide between developed and developing economies. With the world experiencing a surge in extreme weather events, the insurance industry needs to enhance disaster resilience by devising a number of alternative methods of coverage.

At present, the globally accepted method of disaster risk reduction is to transfer risk through indemnity-based insurance products, which require physical assessment of damage for payouts. However, the past is no longer a precedent for what could follow. When calamities such as cyclones, floods, tsunamis, and storms hit large populations and wipe out settlements, especially of the economically disadvantaged communities who have little record of their assets, it becomes difficult to verify the losses.

Changing course

In this context, several insurance products based on the parameters of a weather event are needed. In these, payments are triggered based on real-time measurements such as rain of more than 100 mm per day for two days in succession, or specific flood levels, and wind speed. For such 'parametric' products, payments are made regardless of actual loss or physical verification. Disaster-prone island countries have largely shifted from the risk retention model and embraced such insurance for climate adaptation. Over time, this has built trust between states and insurers, leading to more reasonable pricing and trigger-payout combinations.

Thus far, insurers have been offering standardised parametric products only for low frequency, high-impact disasters such as earthquakes, cyclones, and hurricanes. In 2023, for instance, after a 6.8 magnitude earthquake struck Morocco, the country received $275 million parametric insurance cover arranged with the help of the World Bank. High frequency but low-impact disasters such as landslides, rain, and heat were overlooked, but the consequences of climate change are slowly changing that.

In India, one of the earliest uses of parametric policies was crop insurance, initiated by the government some years ago. The successful Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is based on verification of loss, while a new parametric product, the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme is based on threshold limits, not requiring field verification.

Over the years, the private insurance industry in India has witnessed a rising number of offers of parametric products, customised for States, corporations, self-help groups, and micro-finance institutions. They insure disasters such as extreme precipitation, which is an endemic issue in the north-east; cyclones, which are a standard occurrence in coastal States; and extreme heat, a suddenly prominent and much-published hazard.

Who should bear the burden of paying premiums for parametric insurance coverage? Nagaland was the first State to buy a parametric cover for extreme precipitation in 2021. Based on lessons learned, it has tendered for the second improved version by fixing an absolute annual premium, duration and rate-on-line, allowing bidders to compete over lower threshold limits and maximised payouts. It has imaginatively used the India Meteorological Department's credible supply of data on precipitation for tehsil-sized grids, opening the doors for other States to consider similar products for insurance against cyclones, wind, and rain.

The Co-operative Milk Marketing Federation in Kerala too has implemented parametric insurance for dairy farmers for lower milk yields due to heat stress to cattle. Some non-profits and micro-finance institutions have also worked with private insurers to implement daily payouts to workers who lose wages due to excessive heat, based on pre-defined temperature and moisture triggers. Some large corporates have initiated parametric products for cyclonic winds and high waves at competitive prices, using wind speed, cyclone tracks, and storm surge data. The recent impact of heavy rains in West Bengal, Meghalaya, Manipur, and Mizoram in the aftermath of Cyclone Remal underscores the need to consider such parametric insurance as a possible means to reduce the financial burden of the State.

> Given South Asia's reputation as the world's most 'climate-vulnerable zone', India could consider parametric products

Ensuring effective use

For governments to ensure effective use of parametric products, five factors are essential: precise thresholds and proper monitoring mechanisms; experience sharing between governments to incorporate lessons learned; following the mandatory bidding process for transparent price discovery; a widespread retail payout dissemination system; and encouraging premium payment by households in the long term. While this is more difficult in poorer populations, parametric insurance for earthquakes in New Zealand and Turkey has shown that it can be done.

India is uniquely placed for the use of such products, given that it has the Aadhaar-based payment dissemination system. Aided by multilateral institutions, the Pacific and Caribbean Catastrophe Risk Insurance Companies have displayed regional pooling of risk and have successfully implemented parametric contracts with the insurance sector. Given South Asia's reputation as the world's most "climate-vulnerable zone", India and its neighbourhood could consider such products, pool their risks collaboratively, and strike better bargains with the world's largest insurance companies.

GS Paper 03 : आपदा प्रबंधन

Practice Question विकासशील देशों में आपदा तन्यकता बढ़ाने में पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों के महत्व पर चर्चा करें। उनके अपनाने और कार्यान्वयन में चुनौतियों का मूल्यांकन करें, और प्राकृतिक आपदाओं के वित्तीय प्रभाव को कम करने में उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के उपाय सुझाएँ। (250 w/15m)

संदर्भ

- 2023 में, रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष, प्राकृतिक आपदाओं के कारण $280 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें केवल $100 बिलियन का बीमा किया गया।
- बीमा उद्योग को इन नुकसानों को कवर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर विकासशील देशों में, जो आपदा लचीलापन और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पैरामीट्रिक बीमा जैसे अभिनव दृष्टिकोणों की आवश्यकता को उजागर करता है।

रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल 2023

- साल 2023 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया।
- एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि 2023 में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान $280 बिलियन था, जिसमें केवल लगभग $100 बिलियन का बीमा किया गया।
- बीमा कवरेज में एक महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच।
- बढ़ती चरम मौसम की घटनाओं के साथ, बीमा उद्योग को वैकल्पिक कवरेज विधियों के माध्यम से आपदा लचीलापन बढ़ाना चाहिए।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वर्तमान विधि

- क्षतिपूर्ति-आधारित बीमा उत्पाद
  - o आपदा जोखिम न्यूनीकरण की विश्व स्तर पर स्वीकृत विधि में क्षतिपूर्ति-आधारित बीमा उत्पाद शामिल हैं।
  - o इन उत्पादों में भुगतान के लिए क्षति का भौतिक मूल्यांकन आवश्यक है।
  - o भविष्य की आपदाओं की अप्रत्याशितता को देखते हुए, पिछले उदाहरण अब विश्वसनीय नहीं रह गए हैं।
  - o नुकसान का सत्यापन चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए जिनके पास अपनी संपत्तियों का बहुत कम रिकॉर्ड होता है।
- **लाभ और कार्यान्वयन**
  - o पैरामीट्रिक बीमा राज्यों और बीमाकर्ताओं के बीच विश्वास का निर्माण करता है, जिससे उचित मूल्य निर्धारण और ट्रिगर-पेआउट संयोजन होते हैं।
  - o ऐतिहासिक रूप से, इन उत्पादों को भूकंप और चक्रवात जैसी कम आवृत्ति, उच्च प्रभाव वाली आपदाओं के लिए पेश किया गया है।
  - o 2023 में, मोरक्को को विश्व बैंक द्वारा सुगम बनाए गए 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद पैरामीट्रिक बीमा में $275 मिलियन मिले।
  - o जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन और बारिश जैसी उच्च आवृत्ति, कम प्रभाव वाली आपदाओं पर अब तेजी से विचार किया जा रहा है।

पारंपरिक बीमा विधियों में चुनौतियाँ

- बीमा कवरेज में बढ़ता अंतर: 2023 में, वैश्विक प्राकृतिक आपदा नुकसान $280 बिलियन था, जिसमें केवल $100 बिलियन का बीमा किया गया था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकसित समकक्षों की तुलना में बीमा कवरेज में व्यापक अंतर का सामना करना पड़ता है।
- वैकल्पिक बीमा दृष्टिकोणों के लिए आह्वान: पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद अपने वास्तविक समय ट्रिगर-आधारित भुगतानों के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं। ये उत्पाद भौतिक क्षति सत्यापन की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए वर्षा या हवा की गति जैसे पूर्वनिर्धारित मौसम मापदंडों के आधार पर भुगतान प्रदान करते हैं।

पैरामीट्रिक बीमा को अपनाना और लागू करना

- वैश्विक अपनाने के रुझान: आपदा-प्रवण देशों, विशेष रूप से द्वीपों ने जलवायु अनुकूलन के लिए पैरामीट्रिक बीमा को तेजी से अपनाया है। समय के साथ राज्यों और बीमाकर्ताओं के बीच विश्वास में सुधार हुआ है, जिससे अधिक सूक्ष्म मूल्य निर्धारण और भुगतान ट्रिगर्स हो गए हैं।
- पैरामीट्रिक बीमा कार्यान्वयन के उदाहरण: मोरक्को ने 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद पैरामीट्रिक बीमा कवर में $275 मिलियन हासिल किए। भारत के अनुभव में पैरामीट्रिक फसल बीमा और अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों के लिए पहल शामिल हैं।
- उच्च प्रभाव वाली आपदाओं से परे विस्तार: शुरुआत में भूकंप और चक्रवातों पर केंद्रित, पैरामीट्रिक बीमा अब बारिश और गर्मी जैसी कम प्रभाव वाली, उच्च आवृत्ति वाली घटनाओं के लिए कवरेज की खोज कर रहा है।

पैरामीट्रिक उत्पादों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना

- सरकारी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कारक
  - o प्रभावी पैरामीट्रिक बीमा के लिए सटीक सीमाएँ और उचित निगरानी तंत्र आवश्यक हैं।
  - o सरकारों को सीखे गए सबक को शामिल करने के लिए अनुभव साझा करने चाहिए।
  - o पारदर्शी मूल्य निर्धारण के लिए अनिवार्य बोली प्रक्रिया आवश्यक है।
  - o व्यापक खुदरा भुगतान प्रसार प्रणाली होनी चाहिए।
  - o परिवारों द्वारा प्रीमियम भुगतान को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, हालांकि गरीब आबादी के लिए यह चुनौतीपूर्ण है।

अन्य देशों के उदाहरण

o न्यूजीलैंड और तुर्की में भूकंप के लिए पैरामीट्रिक बीमा गरीब आबादी के बीच भी सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है।

भारत और दक्षिण एशिया के लिए संभावनाएँ

भारत की अनूठी स्थिति

o भारत अपने आधार-आधारित भुगतान प्रसार प्रणाली के कारण पैरामीट्रिक उत्पादों के उपयोग के लिए अच्छी स्थिति में है।

o प्रशांत और कैरिबियन आपदा जोखिम बीमा कंपनियों द्वारा जोखिम की क्षेत्रीय पूलिंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

o जलवायु परिवर्तन के प्रति दक्षिण एशिया की भेद्यता को देखते हुए, भारत और उसके पड़ोसी देश सहयोगी जोखिम पूलिंग और पैरामीट्रिक उत्पादों पर विचार कर सकते हैं।

आगे की राह

- सटीक सीमाएँ और मजबूत निगरानी: बीमा ट्रिगर्स के लिए स्पष्ट, सटीक पैरामीटर स्थापित करें और इन पैरामीटर्स को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए विश्वसनीय निगरानी प्रणाली लागू करें।
- पारदर्शी बोली और अनुभव साझा करना: मूल्य निर्धारण के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन करें और सरकारों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखे गए सबक के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करें।
- व्यापक भुगतान प्रणाली और घरेलू प्रीमियम सहायता: भुगतान वितरित करने के लिए व्यापक प्रणालियाँ विकसित करें और आधार-आधारित भुगतान प्रसार जैसे उपकरणों का लाभ उठाते हुए घरों द्वारा दीर्घकालिक प्रीमियम भुगतान को बढ़ावा दें।

आपदा क्या है?

आपदा एक गंभीर व्यवधान है जो कम या लंबी अवधि में होता है, जो समुदाय या समाज के कामकाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय नुकसान होता है जो प्रभावित आबादी की अपने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता से अधिक होता है।

आपदाओं के प्रकार

आपदाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- प्राकृतिक आपदाएँ: इनमें भूकंप, बाढ़, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सुनामी और सूखा जैसी घटनाएँ शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाएँ आमतौर पर प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम होती हैं और जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं।
- मानव निर्मित आपदाएँ: इन्हें मानव निर्मित या मानवजनित आपदाएँ भी कहा जाता है, इनमें औद्योगिक दुर्घटनाएँ, आग, परमाणु विस्फोट/विकिरण, रासायनिक रिसाव और आतंकवादी गतिविधियाँ जैसी घटनाएँ शामिल हैं। मानव निर्मित आपदाएँ मानवीय क्रियाओं का परिणाम होती हैं और अक्सर उचित सुरक्षा उपायों और विनियमों के माध्यम से इन्हें रोका जा सकता है।

आपदा और खतरे के बीच अंतर

- आपदा और खतरे के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।

- खतरा एक संभावित घटना को संदर्भित करता है जो जीवन की हानि, चोट, संपत्ति की क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण क्षरण का कारण बन सकती है। खतरे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं।
- जब कोई खतरा समाज या पर्यावरण को गंभीर या विनाशकारी रूप से प्रभावित करता है, तो आपदा होती है। संक्षेप में, जब कोई खतरा भेद्यता से मिलता है, तो वह आपदा बन जाता है।

आपदा प्रबंधन

- आपदा प्रबंधन अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपदाएँ आती हैं, तो एक अच्छी तरह से तैयार और समन्वित प्रतिक्रिया होना महत्वपूर्ण है।
- आपदा प्रबंधन में आपदा घटनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने और जोखिम में पड़ी आबादी को आपदा के प्रभाव से बचने या उससे उबरने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियों की श्रृंखला शामिल है।
- इसमें नीतियों, रणनीतियों और मुकाबला करने की क्षमताओं को लागू करने के लिए प्रशासनिक निर्देशों, संगठनों और परिचालन कौशल का उपयोग करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल है, ताकि खतरों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।
- प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ न केवल जीवन बचाती हैं, बल्कि संसाधनों और सहायता के कुशल आवंटन में भी मदद करती हैं। अपनी व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाओं और समर्पित टीमों के साथ, हमारा संगठन संकट के समय समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- सक्रिय उपाय अपनाकर, नियमित अभ्यास आयोजित करके, तथा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग करके, हम आपात स्थितियों के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

आपदा प्रबंधन चक्र

- आपदा प्रबंधन चक्र उस सतत प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके द्वारा सरकारें, व्यवसाय और नागरिक समाज आपदाओं के प्रभाव की योजना बनाते हैं और उसे कम करते हैं, आपदा के दौरान और उसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया करते हैं, और आपदा के घटित होने के बाद उससे उबरने के लिए कदम उठाते हैं। इसमें चार चरण होते हैं:

1. न्यूनीकरण: आपदाओं के प्रभाव को कम करने के प्रयास।
2. तैयारी: प्रतिक्रिया करने की योजना बनाना।
3. प्रतिक्रिया: आपदा द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के प्रयास।
4. पुनर्प्राप्ति: समुदाय को सामान्य स्थिति में वापस लाना।

भारत में आपदा और आपदा प्रबंधन

भारत, एक ऐसा देश है जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से ग्रस्त है, इसलिए जोखिमों को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए आपदा और आपदा प्रबंधन को समझना महत्वपूर्ण है। विचार करने के लिए यहां दस प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

- विविध भूगोल: भारत का विशाल और विविध भूगोल इसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिसमें चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और सूखा शामिल हैं, जिसके लिए क्षेत्र-विशिष्ट आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
- विधायी ढांचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की स्थापना की गई है।
- सामुदायिक भागीदारी: भारत में प्रभावी आपदा प्रबंधन समुदाय की भागीदारी पर जोर देता है, यह मानते हुए कि स्थानीय ज्ञान और भागीदारी आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- एकीकृत दृष्टिकोण: भारत आपदा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति सुनिश्चित करते हुए शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार: उपग्रह संचार, जीआईएस मानचित्रण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सहित प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन पेशेवरों और स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के लिए एक प्राथमिकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न है, अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है और वैश्विक अनुभवों से सीखता है।
- कमज़ोर समूहों पर ध्यान: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों सहित कमज़ोर आबादी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा प्रबंधन प्रयास समावेशी और न्यायसंगत हों।
- आर्थिक प्रभाव आकलन: आपदाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन पुनर्प्राप्ति प्रयासों की योजना बनाने और प्रभावित समुदायों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए कुशलतापूर्वक संसाधनों को आवंटित करने के लिए आवश्यक है।
- सतत विकास: भारत में आपदा प्रबंधन तेजी से सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हो रहा है, यह मानते हुए कि आपदा जोखिम को कम करने से सतत आर्थिक विकास और वृद्धि में योगदान मिलता है।

Mapping : Major Hill Ranges of India

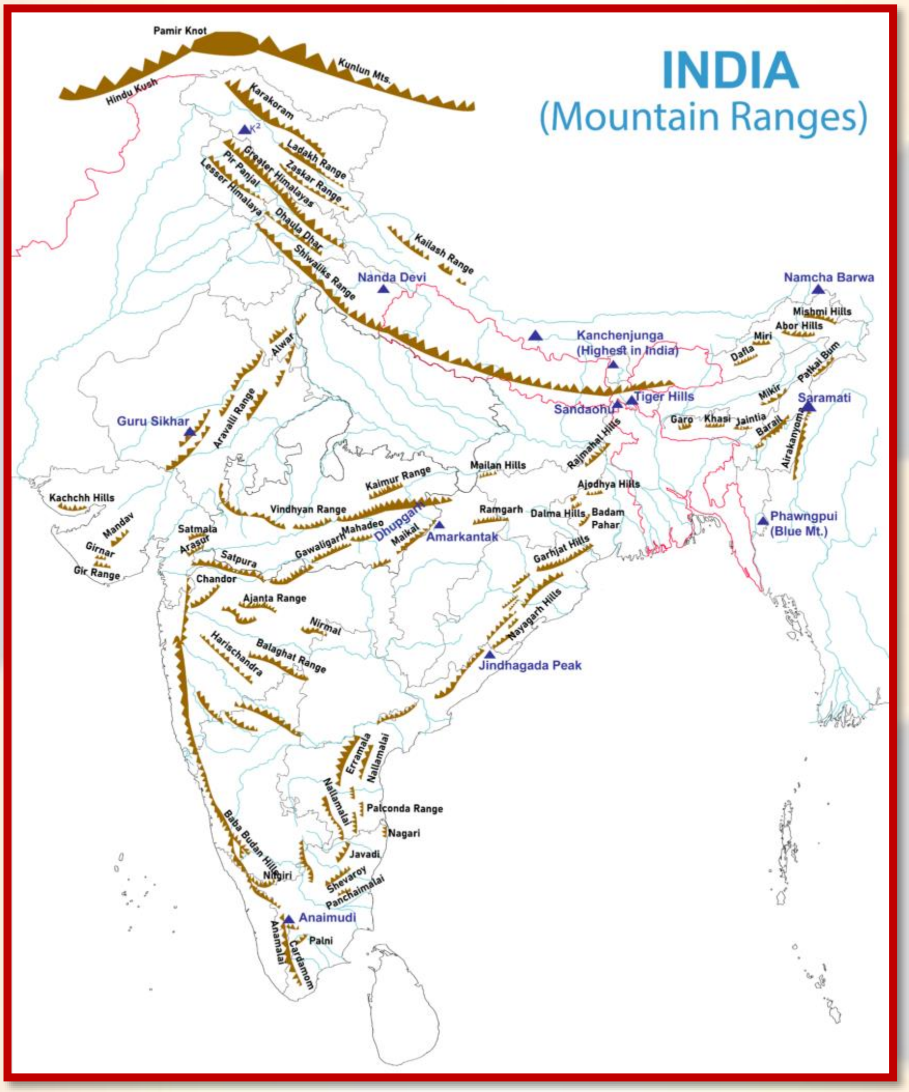

1. अरावली पहाड़ियाँ
2. विंध्य पर्वतमाला
3. सतपुड़ा पर्वतमाला
4. पश्चिमी घाट
5. पूर्वी घाट

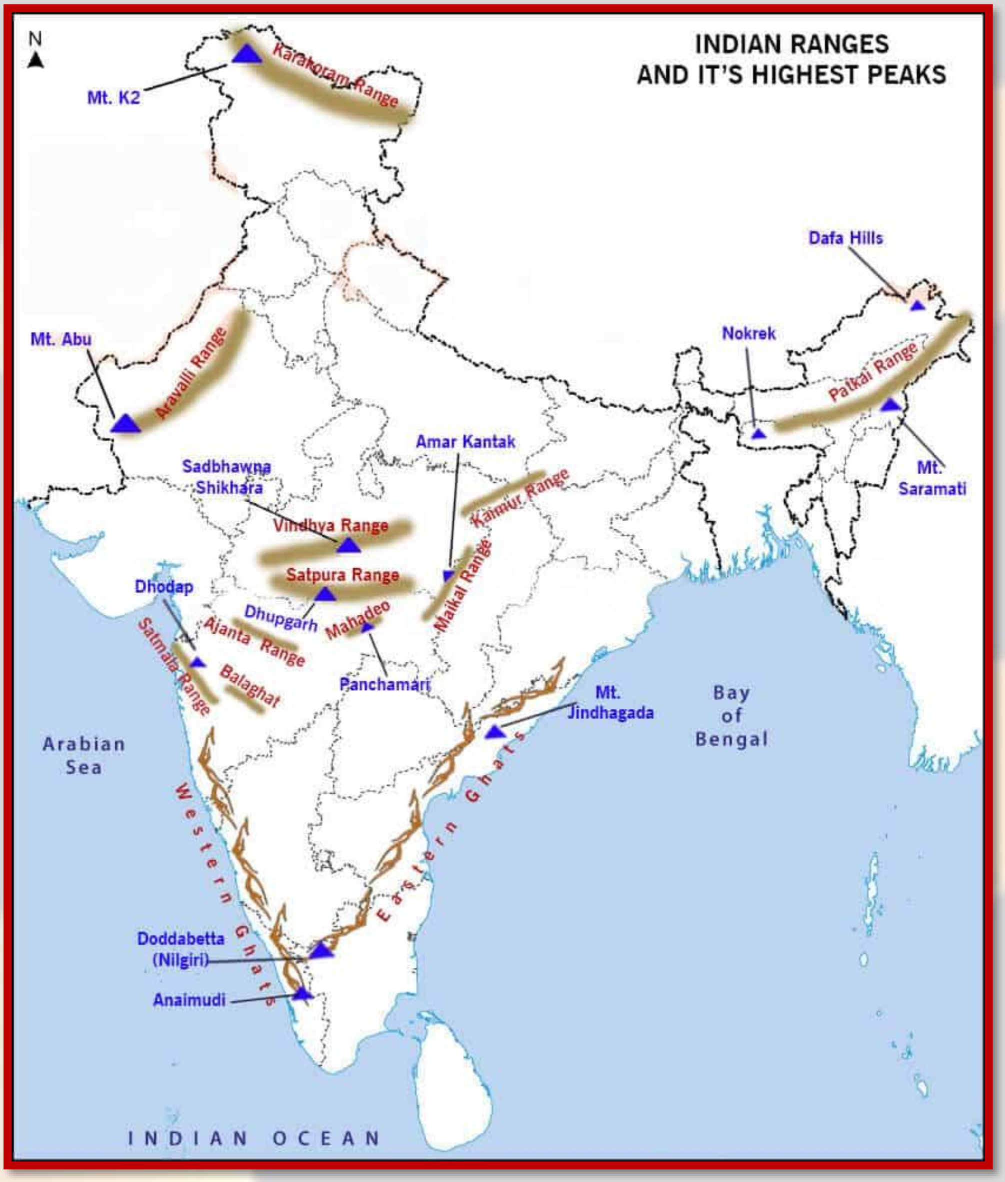

अरावली पहाड़ियाँ

- वे गुजरात (पालनपुर में) से निकलती हैं और हरियाणा तक फैली हुई हैं। वे दिल्ली रिज में समाप्त होती हैं।
- उनकी अधिकतम सीमा 800 किमी है
- वे पुरानी तह पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने टेक्टोनिक पहाड़ों में से एक हैं।
- अरावली को बनाने वाली चट्टानें 2 अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं।
- अन्य तह पहाड़ों के विपरीत, अरावली की औसत ऊँचाई केवल 400-600 मीटर के बीच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके भूवैज्ञानिक इतिहास में वे अपक्षय और क्षरण की प्रक्रियाओं के अधीन थे।

- केवल कुछ चोटियाँ 1000 मीटर से ऊपर की ऊँचाई तक पहुँचती हैं। इनमें शामिल हैं - माउंट गुरुशिखर (1722 मीटर, अरावली का सबसे ऊँचा बिंदु), माउंट आबू (1158 मीटर, यह एक पठार का हिस्सा है)।
- भूवैज्ञानिक रूप से, वे मुख्य रूप से धारवाड़ आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हैं।
- उनमें भारत के सबसे बड़े संगमरमर के भंडार हैं।
- बनास, लूनी, साबरमती नदियाँ अरावली में उत्पन्न होती हैं। बनास चंबल की एक सहायक नदी है। लूनी एक अल्पकालिक नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त होती है।
- इनमें कई दर्रे हैं जो इनसे होकर गुजरते हैं, खासकर उदयपुर और अजमेर के बीच जैसे पिपलीघाट, देवर, देसूरी, आदि।
- इनमें कई झीलें भी हैं जैसे सांभर झील (भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा जल निकाय), ढेबर झील (अरावली के दक्षिण में), जयसमंद झील (जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में), आदि।

विंध्य पर्वतमाला

- ये गैर-विवर्तनिक पर्वत हैं, इनका निर्माण प्लेटों के टकराव के कारण नहीं बल्कि दक्षिण में नर्मदा रिफ्ट घाटी (NRV) के नीचे की ओर फॉल्टिंग के कारण हुआ है।
- ये गुजरात के भरूच से बिहार के सासाराम तक 1200 किमी तक फैले हुए हैं।
- भूवैज्ञानिक रूप से, ये अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों से छोटे हैं।
- इनकी औसत ऊँचाई 300-650 मीटर के बीच है।
- ये पुरानी प्रोटेरोज़ोइक चट्टानों से बने हैं। इन्हें किम्बरलाइट पाइल्स (हीरे के भंडार) द्वारा काटा गया है
- ये स्थानीय नामों जैसे पन्ना, कैमूर, रीवा आदि से जाने जाते हैं।
- ये NRV से खड़ी, तीखी ढलानों के रूप में उठते हैं जिन्हें एस्केरपमेंट कहा जाता है। ये एस्केरपमेंट कैमूर और पन्ना क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित हैं।

सतपुड़ा पर्वतमाला

- सतपुड़ा पर्वतमाला सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियों का मिश्रण है।
- सतपुड़ा पहाड़ियाँ टेक्टोनिक पहाड़ियाँ हैं, जो लगभग 1.6 अरब साल पहले तह और संरचनात्मक उत्थान के परिणामस्वरूप बनी थीं। वे एक हॉर्स्ट भू-आकृति हैं।
- वे लगभग 900 किमी की दूरी तक फैली हुई हैं।
- महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ियों के पूर्व में स्थित हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊँचा स्थान है। धूपगढ़ (1350 मीटर) पचमढ़ी की सबसे ऊँची चोटी है।
- महादेव पहाड़ियों के पूर्व में मैकाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। अमरकंटक पठार मैकाल पहाड़ियों का एक हिस्सा है। यह लगभग 1127 मीटर ऊँचा है।
- पठार में नर्मदा और सोन की जल निकासी प्रणालियाँ हैं, इसलिए इसमें बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ अरब सागर में भी जल निकासी होती है।
- ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित हैं।

- गोंडवाना चट्टानों की मौजूदगी के कारण ये पहाड़ियाँ बॉक्साइट से भरपूर हैं।
- नर्मदा पर धुआँधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है।

Will be continue……